

भारत सरकार  
कार्यालय आयकर आयुक्त  
आयकर भवन, मकबूल आलम रोड, वाराणसी

आयकर अधिनियम 1961 का धारा 80G(5)(vi) के अधीन आदेश

दिनांक : 05.03.2013

संस्था / न्यास Nikhileshwar Navjeevan Foundation, Neta Nagar, Suniyawan, S.R.N., Bhadohi

पैन नं०- AABTN6754D

उपरोक्त विषय पर आपके आवेदन पत्र के शर्दभ में यह सूचित किया जाता है कि संस्था/न्यास Nikhileshwar Navjeevan Foundation, Neta Nagar, Suniyawan, S.R.N., Bhadohi को दिया गया दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G(5)(vi) के अन्तर्गत दानदाता के पक्ष में करमुक्त होगा। बशर्ते कि उसकी रकम प्रावधान में निहित सीमा में हो और निम्नलिखित शर्तों का पालन किया गया हो

- (1) दानदाता को जारी की जाने वाली रसीद में उरा आदेश की संख्या और तारीख व करमुक्ति किस कर निर्धारण वर्ष (वित्तीय वर्ष) से देय है स्पष्ट लिखा हो।
- (2) आय एवं व्यय का हिसाब वार्षिक विवरण संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के पास निश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाये।
- (3) यह कर मुक्ति कर निर्धारण वर्ष 2013-14 (वित्तीय वर्ष 2012-13) से देय है।

Sdf

(डी०एन०मिश्रा)

आयकर आयुक्त, वाराणसी

फा० सं० आ०आ०/वारा० / 62/ 80जी/ रजिस्टर 4040स०- 106/2012-13

12136/2

दिनांक 05.03.2013

प्रतिलिपि सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित -

- (1) सचिव/अध्यक्ष/न्यास, संस्था/ Nikhileshwar Navjeevan Foundation, Neta Nagar, Suniyawan, S.R.N. Bhadohi संस्था/न्यास के द्वारा आवेदन पत्र वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रस्तुत किया गया था अतः यह कर मुक्ति की कर निर्धारण वर्ष 2013-14 अर्थात् वित्तीय वर्ष 2012-13 से देय है।
- (2) संस्था/न्यास को यह सुनिश्चित करना होगा कि संस्था/न्यास की प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष की आयकर विवरण, वार्षिक आय व्यय के अभिलेखों के प्रति के साथ, संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में आयकर प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत जमा की जाय।
- (3) इसके अतिरिक्त यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संस्था/न्यास की आयकर विवरणों की जांच के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई जो संस्था/न्यास के मूल उद्देश्यों से भिन्न अथवा असंगत पाए गए अथवा संस्था/न्यास के किया कलाप प्रमाणिक नहीं रहे तो, आयकर आयुक्त को पूर्ण अधिकार होगा कि उक्त संस्था/न्यास को पूर्व में जारी आय की धारा 80G(5)(vi) के अधीन मान्यता को तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दे।
- (4) अपर/सयुक्त आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र 1/II/III वाराणसी।
- (5) उप/सहायक आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र 1/II/III वाराणसी को जो उपरोक्त संस्था/न्यास के आय एवं व्यय के वार्षिक लेखों की जांच कर कि बोर्ड के आदेश संख्या 3/फा०स० 367/175/47/70/आइ०टी०ए० दिनांक 08.10.1972 के अनुसार सालाना प्रस्तुत करने और यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित प्रत्येक वर्ष आयकर विवरणों समय से दाखिल कर रहा है। उसके अतिरिक्त आयकर विवरणों की जांच करने पर यदि निर्धारण अधिकारी द्वारा संस्था/न्यास के वार्षिक आय-व्यय लेखों के किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है जो संस्था/न्यास के मूलभूत उद्देश्यों से भिन्न अथवा असंगत है या संस्था/न्यास के कार्यकलाप प्रमाणिक नहीं हैं तो उसकी आख्या अपनी टिप्पणी सहित अपनी परिक्षेत्र के अपर/सयुक्त आयकर आयुक्त के माध्यम से यथा समय इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ताकि नियमानुसार आयकर आयुक्त द्वारा प्रदत्त आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-80G(5)(vi) के अधीन मान्यता रद्द की जा सकें।

को.पि.मि.मि.

(ओ०पी०मि०)

आयकर अधिकारी (50-11)

कृते आयकर आयुक्त,

वाराणसी

